नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

नितीन खण्डेलवाल

(सिविल अपील संख्या 3409/2008)

मई 8, 2008

[तरुण चटर्जी एवं दलबीर भण्डारी, JJ.]

बीमा - बीमाकृत वाहन की चोरी - बीमा दावा - इस आधार पर नामंजूरी कि वाहन का उपयोग बीमा नीति के नियमों और शर्तों के विपरीत था - परिवाद -जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने अस्वीकृति को बरकरार रखा - अपीलीय के साथ-साथ पुनरीक्षण न्यायालय ने गैर-मानक आधार पर दावे को मंजूरी दे दी - अपील में, अभिनिर्धारित किया गया: बीमा कंपनी दावेदार को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है - वाहन की चोरी के मामले में, शर्त का उल्लंघन अनिवार्य नहीं है।

प्रत्यर्थी का वाहन चोरी हो गया था। उन्होंने एक बीमा दावा दायर किया जिसे अपीलार्थी बीमा कम्पनी ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रत्यर्थी ने वाहन का वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग करके बीमा नीति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है। प्रत्यर्थी ने जिला विवाद प्रतितोष मंच के समक्ष एक परिवाद दर्ज किया जिसमें बीमा कंपनी द्वारा दावे की नामंजूरी को बरकरार रखा गया। अपील में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने माना कि गैर-मानक आधार पर दावे का निपटारा किया जाना आवश्यक था और इस प्रकार दावेदार बीमा राशि के 75% का

हकदार था। पुनरीक्षण में राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को कायम रखा। इसलिए वतर्मान अपील।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

राज्य आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण गलत नहीं ठहराया जा सकता है और राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के उक्त आदेश को सही ढंग से बरकरार रखा है। हस्तगत मामले में वाहन को छीन लिया गया या चोरी हो गई। वाहन की चोरी के मामले में शर्त का उल्लंघन उचित नहीं है। वाहन की चोरी के मामले में, वाहन के उपयोग की प्रकृति को नहीं जांचा जा सकता है और बीमा कंपनी उस आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती है। बीमाकर्ता वाहन के स्वामी ने जब व्यापक पॉलिसी प्राप्त कर ली हो तो बीमाकर्ता को हुए नुकसान के लिए अपीलार्थी बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। राज्य आयोग ने केवल मानक आधार पर दावे की अनुमति दी, जिसे राष्ट्रीय आयोग स्तर पर बरकरार रखा गया है।

नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम राय एवं अन्य 2006 (4) एससीसी 250-प्रतिष्ठित।

जितेन्द्र कुमार बनाम आरिएंटल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड एवं अन्य 2003 (6) एससीसी 420; *नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य* 2004 (3) एससीसी 297- संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 3409/2008

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली द्वारा और पी सं. 2638/2006 में दिनांक 21.09.2006 को पारित निर्णय और आदेश के विरूद्ध ।

एस. एल. गुप्ता, विष्णु कुमार शर्मा और गुडविल ईन्दिवर अपीलार्थी के लिए।

अनीष कुमार गुप्ता, दीप शिखा भारती, रीटा गुप्ता और प्रियंका प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया।

दलवीर भंडारी, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली (इसके बाद इसे राष्ट्रीय आयोग कहा जायेगा) द्वारा और. पी. सं. 2638/2006 में दिनांक 21 सितम्बर 2006 को पारित आदेश के विरूद्ध संस्थित की गई है।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य जो प्रकरण को निपटाने के लिए आवश्यक है, उन्हें निम्नानुसार पुनर्कथित किया गया है

4. प्रत्यर्थी नितिन खण्डेलवाल ने 28.5.2003 को महिन्द्रा स्कॉर्पियो नम्बर एच और-18- 8743 वाहन खरीदा था। उन्होंने अपने बच्चों को जयपुर से लाने के लिए 27.09.2003, को अपना वाहन भेजा था। रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने वाहन रोका और चालक को बांधकर रास्ते में फेंक दिया और गाड़ी छीन ली। वाहन चालक द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और अपीलकर्ता बीमा कम्पनी को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद 2.10.2003 को, प्रत्यर्थी ने एक बीमा वाद संस्थित किया, जिसे बीमा कम्पनी ने खारिज कर दिया।

5. अपीलार्थी का कथन था कि वाहन का उपयोग टैक्सी के रूप में किया जा रहा था और चार यात्रियों द्वारा ग्वालियर से करौली जाने के लिए वाहन किराये पर लिया गया था और उन यात्रियों ने रास्ते में वाहन चालक से वाहन छीन लिया। वाहन

का बीमा व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया गया था और प्रत्यर्थी द्वारा इसका उपयोग टैक्सी के रूप में किया जा रहा था। अपीलार्थी के अनुसार प्रत्यर्थी ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया था और इसीलिए, वाद को खारिज किया गया। प्रत्यर्थी ने जिला उपभोक्ता मंच विवाद प्रतितोष मंच, जिला ग्वालियर, म. प्र. के समक्ष परिवाद दर्ज किया। (इसके बाद इसे "जिला मंच" कहा जायेगा)।

6. जिला मंच के अनुसार, प्रत्यर्थी ने बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया था और अपीलार्थी बीमा कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी के वाद को खारिज करना उचित था। जिला मंच के उक्त आदेश से व्यथित प्रत्यर्थी ने म. प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (इसके बाद इसे "राज्य आयोग" कहा जाएगा) के समक्ष अपील दायर की।

7. राज्य आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी द्वारा वाहन की चोरी से इंकार नहीं किया गया है। हालांकि, पॉलिसी के तहत प्रत्यर्थी का दावा बीमा कंपनी द्वारा केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चोरी के समय, वाहन एक निजी वाहन के रूप में पंजीकृत और बीमाकृत था, लेकिन भुगतान पर यात्रियों को ले जाने के लिए टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। अतः उक्त वाहन का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत किया जा रहा था।

8. राज्य आयोग ने *यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम ज्ञान सिंह* [2006 सीटीजे 221 (सीपी) (एनसीडीआरसी)] के निर्णय को आधार माना, जिसमें राष्ट्रीय आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया था कि शर्त के उल्लंघन के मामले में वाहन के उपयोग की प्रकृति के संबंध में पॉलिसी के अनुसार, गैर-मानक आधार पर दावे काे निस्तारित किया जाना चाहिए। इसी तरह का मत राज्य आयोग द्वारा दिनांक 28.03.2006 को निर्णित अपील संख्या 1463/2004 (*ट्रेक वे सिक्योरिटीज एंड*

फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी और अन्य) में लिया गया था। उक्त निर्णय के आधार पर, राज्य आयोग ने पाया कि यहां परिवादी प्रत्यर्थी का दावा गैर-मानक आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिए और परिवादी प्रत्यर्थी राशि के 75% का हकदार था। परिणामस्वरूप, राज्य आयोग ने अपीलकर्ता को परिवाद की दिनांक से भुगतान तक 6% ब्याज की दर के साथ 75% राशि अर्थात 4,83,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया।

9. राज्य आयोग के उक्त आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (इसके बाद "राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित) के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। राष्ट्रीय आयोग ने इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि वाहन का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किया गया था, बीमा कंपनी की नीति के अनुसार गैर-मानक आधार पर प्रतिपूर्ति प्रदान की और पाया कि राज्य आयोग के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

10. अपीलार्थी ने, राष्ट्रीय आयोग के उक्त आदेश से व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दायर की।

11. इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, प्रत्यर्थी ने एक व्यापक जवाबी शपथ पत्र दायर किया है। अपीलार्थी ने *नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम कुसुम राय और अन्य* (2006) 4 एससीसी 250 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई । प्रत्यर्थी के अनुसार, जहां तक हस्तगत मामले का संबंध है, इस मामले में एेसा कोई आवेदन नहीं है। उपर्युक्त वर्णित मामला उस दुर्घटना से संबंधित है जहां दुर्घटना का मुख्य या सहायक कारण दुर्घटना के प्रासंगिक समय पर लापरवाही से गाड़ी चलाना था। यह मामला कार चोरी से जुड़ा है। यह तीसरे पक्ष के जोखिम का प्रकरण नहीं है। मौजूदा प्रकरण में वाहन बरामद नहीं हुआ है। जवाबी

शपथ पत्र में यह भी शामिल है कि यह विवादित नहीं है कि वाहन का व्यापक बीमा किया गया था। चूंकि विचाराधीन वाहन चोरी हो गया था, इसलिए, वाहन चोरी के मामले में, शर्त का उल्लंघन उचित नहीं है। *कुसुम राय के* मामले ¼ ऊपर ½ में, *जितेन्द्र कुमार बनाम ओरिएंटल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड और अन्य* (2003) 6 एससीसी 420 एवं *नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड और अन्य* (2004) 3 एससीसी 297 के मामले पर भी विचार किया गया। इस न्यायालय ने *जितेन्द्र कुमार के* मामले में पैरा 9 और 10 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया है:

> "9. फिर सवाल यह है कि; क्या बीमा कम्पनी उस वाहन के स्वामी द्वारा किए गए दावे को केवल इस आधार पर कि वाहन के चालक जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं था, अस्वीकार कर सकती है, जो कम्पनी के साथ विधिवत बीमाकृत है, के पास दुर्घटना के लिए वैध अनुज्ञापत्र नहीं था? इस प्रश्न का उत्तर, हमारी राय में, नकारात्मक होना चाहिये। हमारी राय में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 जिस पर राज्य आयोग द्वारा निर्भरता रखी गई थी, बीमा कम्पनी के उस दावे को अस्वीकार करने में सहायता नहीं है, जहां वाहन के चालक द्वारा दुर्घटना में किसी भी तरह से योगदान नहीं दिया गया । मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2)(1)(ii) बीमा कम्पनी को उस दावे को अस्वीकार करने का अधिकार देती है जिसमें प्रश्नगत वाहन किसी दुर्घटना के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके लिए वाहन का चालक, जिसके पास वैध चालन अनुज्ञापत्र नहीं है, किसी भी तरह से जिम्मेदार है। यह बीमा कंपनी को एेसे कृत्यों के कारण हुई क्षति के दावे को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देता है जिनमें ड्राइवर ने, किसी भी तरह का

योगदान नहीं दिया है अर्थात् ड्राइवर के कृत्य के अलावा अन्य कारणों से क्षति हुई हो।

10. पक्षकारों का मामला यह है कि प्रश्नगत वाहन को जिस आग से नुकसान हुआ वह यांत्रिक विफलता के कारण हुई, न कि ड्राईवर की किसी गलती या कृत्य या चूक के कारण। इसिलए, हमारी सुविचारित राय में, बीमा कंपनी अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती थी।"

12. इसी प्रकार, *स्वर्ण सिंह के* मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :

"अगर तथ्यों के आधार पर, यह पाया जाता है कि दुर्घटना पूरी तरह से कुछ अन्य अप्रत्याशित या हस्तक्षेपकारी कारणों जैसे यांत्रिक विफलताओ और इसी तरह के अन्य कारणों से हुई है, जिसका चालक के पास अपेक्षित प्रकार का अनुज्ञापत्र नहीं होने से कोई संबंध नहीं है, तो केवल चालन अनुज्ञापत्र से संबंधित शर्तों के तकनीकी उल्लंधन पर बीमाकर्ता को उत्तरदायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. हस्तगत मामले में वाहन छीना या चोरी हुआ है। वाहन चोरी के मामले में शर्त का उल्लंघन उचित नहीं है। जब बीमाकर्ता ने बीमाकर्ता को हुए नुकसान के लिए व्यापक पॉलिसी प्राप्त कर ली है तो अपीलकर्ता बीमा कंपनी वाहन के मालिक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि यह मानते हुए भी कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, अपीलकर्ता बीमा कंपनी को गैर-मानक आधार पर दावे का निपटारा करना चाहिए था। चोरी के कारण वाहन खो जाने की स्थिति में बीमा कंपनी पूरी तरह से दावा खारिज नहीं कर सकती।

14. हस्तगत मामले में, राज्य आयोग ने केवल गैर-मानक आधार पर दावे की अनुमति दी, जिसे राष्ट्रीय आयोग ने बरकरार रखा है। मामले में तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने पर, यह सुस्थापित विधि स्पष्ट होती है कि वाहन की, चाेरी के मामले में, वाहन के उपयोग की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है और बीमा कंपनी उस पर दावा अस्वीकार नहीं कर सकती है।

15. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संन्दर्भ में, वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी और अपीलकर्ता के बीच अनुबंध के अनुसार, प्रत्यर्थी को अपीलकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की आवश्यकता है। स्थापित विधिक स्थिति के आधार पर, राज्य आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है और राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के उक्त आदेश को सही ढंग से बरकरार रखा है।

16. राज्य आयोग ने गैर-मानक आधार पर प्रत्यर्थी के केवल 75% दावे की अनुमति दी है। हम यह तय नहीं कर रहे हैं कि क्या राज्य आयोग का प्रत्यर्थी के दावे को गैर-मानक आधार पर अनुमति देना उचित था। क्योंकि प्रतिवादी ने उक्त आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है। राज्य आयोग के उक्त आदेश को राष्ट्रीय आयोग ने बरकरार रखा।

17. हमारे विचार में, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकारों को अपने व्यय को स्वयं वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

के.के.टी. अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारीडॉ कैलाश चन्द्र अटवासिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।